

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप संख्या : 3-सं./वि.2-10/09 (खण्ड-II)...../ सेवा में,

पटना, दिनांक अगस्त, 2013

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय :- राजधानी पटना में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के 'बिहार संग्रहालय' के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य (असैनिक) के कार्यान्वयन हेतु ₹ 29,50,00,000/- (उनतीस करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2- व्यय का विकलन योजना आय-व्ययक शीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-0107-सांस्कृतिक संरचना-5301- मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड पी- 4059600510107, मांग संख्या-03 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में होगा।

3- इस आय-व्ययक के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना हैं, जिनके द्वारा विमुक्त राशि का आवंटन निर्गत किया जायेगा एवं व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।

4- राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी।

5- 'बिहार संग्रहालय' निर्माण परियोजना के असैनिक कार्य के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार कार्यकारी अभिकरण है, जिनके द्वारा निर्माण सम्बन्धी असैनिक कार्य का सम्पादन सुनिश्चित किया जाएगा तथा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- बिहार संग्रहालय निर्माण परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या- 89, दिनांक 31.05.2013 द्वारा दी गयी है।

7- यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96, दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधानों आलोक में प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक अगस्त, 2013

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक 20 अगस्त, 2013

ज्ञापांक 246...../

प्रतिलिपि : सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, संग्रहालय, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी- 1 (बजट)/प्रशाखा पदाधिकारी-4/बजट सहायक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव।
19.8.13